राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

न अधिकारी – मनोज, आर.ए.एस.
संख्या– 04/24 प्रा०पत्र

मांगीलाल s/o श्री हमीर कुमावत निवासी काशीरामजी की खेडी तहसील माण्डल
– प्रार्थी

बनाम

कालुलाल s/o श्री उदा गाडरी निवासी काशीरामजी की खेडी तह माण्डल (अंगेरा)
(मय संबंधित खातेदारान)
– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111– 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :– 19.3.24

:: आदेश ::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम काशीरामजी की खेडी... पटवार हल्का आलमास............ तहसील माण्डल में उसके खाते युक्त खाते की आराजी न0 1031, 1032, 1151/703.... कुल किता ......03.............. रकबा 1.1129 .... हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीता चिन्ह नही ने आये दिनर सीमा संबधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / सयुक्त खाते की की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......10.01.24........ को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो रखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काशीराम की खेडी पटवार हल्का ......आलमास........ तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की जी नं0 1031, 1032, 1151/703 कुल किता ....03.......... रकबा ....1.1129....... हैक्टेयर के चारों तरर्फ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता त्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक ......आलमास........ को ....500/- रूपये /– नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मै मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:21:55 IST
Reason: SelfAttested

लिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार रगढ़ी की जाकर पालना रिर्पोट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल

CamScanner